बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0—भवन / भू—सम्पदा—01—आवास—(राजपत्रित)—01 / 2026— 91 पटना, दिनांक— 18/6/26

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है:—

क्र0	Reg. Id	नाम / पदनाम	विभाग	आवास संख्या
1.	BN5262	**श्री रंजीत कुमार,** प्रशाखा पदाधिकारी	ग्रामीण विकास विभाग	262/800 800 सेट, शास्त्रीनगर

4. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम—10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा

3. नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

4. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात नियमानुसार मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

5. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम—22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / —
(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव—सह—भू—सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांकः—भवन/भू—सम्पदा—01—आवास—(राजपत्रित)—01/2026— 5673(4) पटना, दिनांकः— 18/6/26

प्रतिलिपिः—सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0—1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/संबंधित आवंटी पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/26

संयुक्त सचिव—सह—भू—सम्पदा पदाधिकारी।